उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या :55—विनियम एवं काविनी / 2013—05—विनियम / 88 दिनांक : 17—07—2014

कार्यालय—ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 20—11—2013 को सम्पन्न हुई 102वीं बैठक में बी0ई0 / ए0एम0आई0ई0 शैक्षणिक योग्यता वाले अवर अभियन्ता / संगणक से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित 8.33 प्रतिशत कोटा समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0—2—विनियम—23 / पाकालि / 2002—05—विनियम / 88 दि0 02—01—2002 द्वारा संशोधित एवं जारी उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली—1970 (यथा संशोधित) तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली—1970 (यथा संशोधित), जो कि सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में लागू एवं प्रभावी हैं, के विनियम—5 (भर्ती का स्त्रोत) के निम्नांकित स्तम्भ—1 के वर्तमान प्राविधानों को निम्नांकित स्तम्भ—2 के प्राविधानों से एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :—

स्तम्भ—1 (वर्तमान प्राविधान)	स्तम्भ—2 (प्रतिस्थापित प्राविधान)
उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली—1970 (यथा संशोधित)	उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली—1970 (यथा संशोधित)
विनियम—5 भर्ती का स्त्रोत	विनियम—5 भर्ती का स्त्रोत
1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गो में विभाजित रहेगें तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती / प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग—अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होगें उसी वर्ग मे भर्ती / प्रोन्नति की जायेगी :—	1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गो में विभाजित रहेगें तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती / प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग—अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होगें उसी वर्ग में भर्ती / प्रोन्नति की जायेगी :—
(क) 50—1 / 3 प्रतिशत ....प्रशिक्षित अभियन्ताओं में से सीधी भर्ती हेतु।	(क) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा.........58.66 प्रतिशत।
(ख) 40 प्रतिशत..........अवर अभियन्ता से प्रोन्नति द्वारा चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट—ग में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु।	(ख) अवर अभियन्ता से प्रोन्नति द्वारा (चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट—ग मे विहित रीति के अनुसार)...... 40 प्रतिशत।
(ग) 1—1 / 3 प्रतिशत..........स्थाई एवं अर्ह संगणकों (चयन वर्ग) विद्युत एवं यान्त्रिक से परिशिष्ट—ग में विहित रीति के अनुसार।	(ग) कम्प्यूटर सेलेक्शन ग्रेड (ई0 एण्ड एम0) से प्रोन्नति द्वारा (परिशिष्ट—ग में विहित रीति के अनुसार) ....1.33 प्रतिशत।

क्रमश :...............2 / —

(घ) 8–1/3 प्रतिशत........डिग्री धारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकों जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षो की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरूद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बांटी जायेगी जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।	(घ) विलोपित।
उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित)	उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली–1970 (यथा संशोधित)
विनियम–5 भर्ती का स्त्रोत	विनियम–5 भर्ती का स्त्रोत
1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गो में विभाजित रहेगें तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग–अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होगें उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :–	1. सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गो में विभाजित रहेगें तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग–अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होगें उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :–
(क) परिशिष्ट–क में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा........... 50–1/3 प्रतिशत।	(क) परिशिष्ट–क में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा........... 58.66 प्रतिशत।
(ख) परिशिष्ट–ख में वर्णित रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल)से पदोन्नति द्वारा...........40 प्रतिशत।	(ख) परिशिष्ट–ख में वर्णित रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल)से पदोन्नति द्वारा...........40 प्रतिशत।
(ग) परिशिष्ट–ख में वर्णित रीति के अनुसार स्थाई व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण) श्रेणी (सिविल) से पदोन्नति द्वारा.........1–1/3 प्रतिशत।	(ग) परिशिष्ट–ख में वर्णित रीति के अनुसार स्थाई व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण) श्रेणी (सिविल) से पदोन्नति द्वारा.........1.33 प्रतिशत।
(घ) डिग्री धारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकों जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षो की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो...........8–1/3 प्रतिशत। प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (घ) के विरूद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ता व संगणकों में से बांटी जायेगी जो उपर्युक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।	(घ) विलोपित।

2. संगत विनियमावलियॅा उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगीं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :55(1)–विनियम एवं काविनी/2013–05–विनियम/88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/केस्को–कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ट्रान्सकों/डिस्काम्स।
9. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/म0प्र0 (औ0सं0)/अपर विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक–932/पाकालि/बैठक(102)/2013 दिनांक 09–12–2013 एवं बैठक सहायक की टिप्पणी दिनांक 10–07–2014 के सन्दर्भ में।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट)।

(जावेद अहमद) 17/7/14
संयुक्त सचिव